

English → Hindi ▾

⋮ ⌂



NEWS

iView

listen

दुर्व्यवहार पीड़ितों का कहना है कि सेंटरलिंक का 'युगल नियम' महिलाओं को खतरे में डालता है

कोको वेल्डकेप द्वारा

एबीसी बॉलारेट

घरेलू हिंसा

बुधवार 10 दिसंबर 2025 सुबह 6:44 बजे



मारिट कबारे का कहना है कि उनके अध्ययन ने "युगल नियम" से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया है। (एबीसी न्यूज)

संक्षेप में:

घरेलू हिंसा से बचे लोगों का कहना है कि सेंटरलिंक जिस तरह से रिश्ते में रहने वाले लोगों के लिए लाभ भुगतान का आकलन करता है, उससे महिलाएं जोखिम में पड़ रही हैं

जो लोग किसी रिश्ते में माने जाते हैं, उन्हें अविवाहित लोगों की तुलना में कम वित्तीय सहायता मिलती है, जिसके बारे में पीड़ितों का कहना है कि यह महिलाओं की सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।

आगे क्या?

ब्रदरहुड ऑफ सेंट लॉरेंस, जिसने इस प्रथा का अध्ययन किया, चाहता है कि इसे समाप्त कर दिया जाए ताकि वित्तीय, भावनात्मक और घरेलू दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं

को बेहतर सुरक्षा मिल सके

शीला* के पिछले रिश्ते में, उसे लगता था कि उसका साथी उसकी जान ले सकता है।

41 वर्षीय यह मां कई वर्षों तक शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से दुर्व्यवहारपूर्ण रिश्ते में फंसी रही।

सेंटरलिंक द्वारा उसे एक दंपत्ति के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद, उसे वित्तीय सहायता के लिए अपने साथी पर निर्भर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सेंटरलिंक ने उसे भुगतान के लिए अपात्र घोषित कर दिया था।

"मैंने शायद पांच साल इस बात की योजना बनाने में बिताए कि मैं और बच्चे कैसे भाग निकलेंगे, और फिर उस योजना को अंजाम देने में मुझे लगभग 18 महीने लग गए।" शीला ने कहा।

"पैसा मेरी सबसे बड़ी बाधा थी, और इसी वजह से, मेरे सामने आवास और अपने बच्चों के लिए बिना नौकरी, बिना किसी वित्तीय साधन के भरण-पोषण की बाधा आ गई।"

रिश्तों में फँसी हुई

ब्रदरहुड ऑफ़ सेंट लॉरेंस द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि "युगल नियम" - जो सामाजिक सुरक्षा भुगतानों को रिश्ते की स्थिति से जोड़ता है - महिलाओं की सुरक्षा और वित्तीय स्वतंत्रता को कमजोर करता है

दावा करते समय, सेंटरलिंक आपसे रिश्ते की स्थिति के बारे में सवाल पूछता है, जो भुगतान के लिए आपकी पात्रता और आपको मिलने वाली राशि को प्रभावित कर सकता है।

यह मानते हुए कि जोड़े संसाधनों को साझा करेंगे, युगल संबंधों में रहने वाले व्यक्तियों को एकल व्यक्तियों की तुलना में कम दर पर आय सहायता प्राप्त होती है।

यदि आपको या आपके किसी परिचित को सहायता की आवश्यकता है:

- पुलिस – 000 (ट्रिपल-जीरो)
- 1800 रिस्पेक्ट नेशनल हेल्पलाइन : 1800 737 732
- लाइफ्लाइन 13 11 14
- पुरुषों के लिए रेफरल सेवा : 1300 766 491
- महिला संकट हेल्पलाइन : 1800 811 811
- ऑस्ट्रेलिया में पूर्ण विराम : 1800 पूर्ण विराम / 1800 385 578 (राष्ट्रीय हिंसा और दुर्व्यवहार आघात

सितंबर 2025 तक, अभिभावकीय भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम पाक्षिक राशि साझेदार आवेदक के लिए 726.50 डॉलर है, जबकि एकल आवेदक के लिए यह 998.20 डॉलर है।

साझेदार की आय भी साझेदार लाभार्थियों द्वारा प्राप्त आय सहायता की राशि को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है, और यह तब बंद हो जाती है जब संयुक्त आय प्रति पखवाड़े \$2,783.34 से अधिक हो जाती है।

- परामर्श और पुनर्वास सेवा)
- रेनबो सेक्सुअल, डोमेस्टिक और फैमिली वायलेंस हेल्पलाइन पर 1800 497 212 पर संपर्क करें।



सेंटरलिंक भुगतान राशि निर्धारित करने के लिए दंपत्ति की स्थिति का उपयोग करता है। (एबीसी न्यूज़: बिली कूपर)

मैं बहुत जल्दी निकल जाता।

ब्रदरहुड ऑफ सेंट लॉरेंस की शोधकर्ता मागरिट कबारे ने इस वर्ष विक्टोरिया में रहने वाली 22 महिलाओं का साक्षात्कार लिया, जिन्होंने कहा कि युगल नियम के कारण उन्हें वित्तीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था।

साक्षात्कार में शामिल अधिकांश महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार थीं, जो ऐसे रिश्तों में बनी रहीं क्योंकि आय सहायता तक उनकी पहुंच उनके उत्पीड़कों से जुड़ी हुई थीं।



मारिट कबारे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा की विशेषज्ञ हैं। (स्रोत: मारिट कबारे)

डॉ. कबारे ने कहा, "युगल नियम और अनुपालन आवश्यकताओं की कठोरता महिलाओं को आर्थिक शोषण के लिए उजागर कर सकती है और उन्हें हिंसक और अपमानजनक रिश्तों में फंसा सकती है।"

"यह नियम महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने के अवसरों को सीमित करके लैंगिक असमानताओं को और भी मजबूत करता है।"

34 वर्षीय महिला एमी* ने कहा कि उनका पिछला रिश्ता विषाक्त हो गया क्योंकि अपने साथी की आय की जानकारी देने के कारण उनका सेंटरलिंक भुगतान कम हो गया और वह आर्थिक रूप से उस पर निर्भर हो गई।

उसने कहा कि जब उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू हुआ तो उसके पास वहां से जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे।

एमी ने कहा, "रिश्ता काफी खराब हो गया था, और वह... हिंसक हो गया था।"


"दुर्व्यवहार शुरू होने के बाद मैं शायद चार या पांच महीने और उस रिश्ते में रही। अगर उस समय मेरे पास ज्यादा पैसे होते, तो मैं बहुत जल्दी रिश्ता तोड़ देती।"

घरेलू हिंसा साबित करना

सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 24 के तहत किसी व्यक्ति को दंपत्ति के सदस्य के रूप में न मानने के लिए घरेलू हिंसा को अब एक विशेष कारण के रूप में मान्यता दी गई है

लेकिन, अध्ययन में शामिल महिलाओं ने कहा कि दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत करना और दुर्व्यवहार के सबूत इकट्ठा करना, तब तक मुश्किल था जब तक वे दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही थीं।

शीला ने कहा कि जब उसके पूर्व साथी को इस बारे में पता चला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से हिंसा और बढ़ गई।



ब्रदरहुड ऑफ सेंट लॉरेंस के शोध में पाया गया है कि "युगल नियम" महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालता है। (एबीसी न्यूज ब्रेकफास्ट)

"पुलिस उसे ले गई और उस पर हस्तक्षेप का आदेश जारी किया, लेकिन ज़ाहिर है, उन्होंने उसे रिहा कर दिया। वह सीधे घर वापस आया और उसने कहा, 'बेहतर होगा कि तुम इसे हटा दो,' शीला ने कहा।

"मुझे पता था कि अगर मैंने [आदेश] को रद्द नहीं करवाया, तो वह मुझे मार डालेगा। इसलिए, ज़ाहिर है, मैं अगले दिन अदालत गई और मैंने कहा, 'मैं इसे वहाँ नहीं रखना चाहती, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है,

यह उसके स्वभाव के विपरीत है, वह ऐसा व्यवहार नहीं करता।"

शीला ने कहा कि वह लंबे समय तक मदद मांगने से बहुत डरती थी।

उसने कहा कि उसने अपने फोन पर तस्वीरें लेकर दुर्व्यवहार को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथी ने उन्हें डिलीट कर दिया।

नियम को समाप्त करना

डॉ. कबारे ने कहा कि युगल नियम को समाप्त कर देना चाहिए।

डॉ. कबारे ने कहा, "ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के लिए व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अपनी 10 साल की प्रतिबद्धता की रूपरेखा तैयार की है। यह सराहनीय है, लेकिन युगल नियम को समाप्त करना प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि इन महिलाओं की कहानियां सुनना बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी आशा और दृढ़ता को सुनकर प्रेरणा मिली।

"वे दूसरी महिलाओं की मदद करना चाहती हैं... और यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि दूसरी महिलाओं को उसी तरह की समस्याओं से न गुजरना पड़े।" उसने कहा।

रिस्पेक्ट विकटोरिया की सीईओ हेलेन बोल्टन ने कहा कि युगल नियम महिलाओं को हिंसक रिश्तों में फंसा सकता है।

उन्होंने कहा, "युगल नियम महिलाओं के लिए विकल्पों की एक श्रृंखला को छीन लेता है और हिंसा का इस्तेमाल करने वाले लोग आर्थिक निर्भरता पैदा करके या उसे कायम रखकर नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में भी इस नियम का उपयोग कर सकते हैं।"



हेलेन बोल्टन का कहना है कि युगल नियम महिलाओं को रिश्तों में फंसा सकता है। (एबीसी न्यूज़ स्टीवन शुबर्ट)

उन्होंने कहा कि दंपत्ति संबंधी नियम को "बिल्कुल" समाप्त कर देना चाहिए।

सुश्री बोल्टन ने कहा, "मुझे लगता है कि सेंटरलिंक के युगल प्रावधान में बदलाव करना महिलाओं को अपने साझेदारों से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की अनुमति देने का एक तरीका है... उन्हें अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए।"

"हमें ऐसी महिलाओं की आर्थिक संभावनाओं को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, जिनके लिए अक्सर दंडात्मक नियम बनाए जाते हैं... जिनका इस्तेमाल पीड़ित बचे लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए हथियार के रूप में किया जा सकता है।"

इस सवाल के जवाब में कि युगल नियम को समाप्त क्यों नहीं किया गया है, जबकि इस बात पर शोध हुआ है कि यह महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा को कैसे कमजोर करता है, सामाजिक सेवा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे में निवेश कर रही है।

प्रवक्ता ने कहा, "सरकार वित्तीय दुर्व्यवहार और पारिवारिक एवं घरेलू हिंसा से निपटने के लिए कई उपाय कर रही है, जिसमें अग्रिम पंक्ति की सेवाओं, रोकथाम पहलों, व्यवहार परिवर्तन और सरकार भर में बच्चों के लिए कार्यक्रमों के लिए 4 अरब डॉलर से अधिक की राशि शामिल है।"

शीला और अध्ययन में शामिल अन्य महिलाओं की पहचान की सुरक्षा के लिए उनके नाम बदल दिए गए हैं।

पोस्ट किया गया बुधवार 10 दिसंबर 2025 सुबह 6:44 बजे

परिवार और घरेलू हिंसा से संबंधित सहायता:

- 1800 रिस्पेक्ट राष्ट्रीय हेल्पलाइन :

1800 737 732

- महिला संकट हेल्पलाइन :

1800 811 811

- पुरुषों के लिए रेफरल सेवा :

1300 766 491

- लाइफलाइन (24 घंटे की संकटकालीन हेल्पलाइन):

131 114

- ऑस्ट्रेलिया में संबंध :

1300 364 277

- न्यू साउथ वेल्स घरेलू हिंसा हेल्पलाइन:

1800 656 463

- क्वींसलैंड घरेलू हिंसा सहायता हेल्पलाइन:

1800 811 811

- विक्टोरिया सेफ स्टेप्स संकटकालीन सहायता हेल्पलाइन:

1800 015 188

- ACT 24/7 संकटकालीन हेल्पलाइन:

(02) 6280 0900

- तस्मानिया परिवार हिंसा परामर्श एवं सहायता सेवा:

1800 608 122

- दक्षिण अफ्रीका में घरेलू हिंसा संकट हेल्पलाइन:

1800 800 098

- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन:

1800 007 339

- उत्तरी क्षेत्र में घरेलू हिंसा हेल्पलाइन:

1800 737 732

